दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय
रुचि की अभिव्यक्ति

सभी प्रमुख पत्तनों पर पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली के एकीकरण के लिए अद्योपांत (turn key) के आधार पर संभावित बोलीदाताओं से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) हेतु अनुरोध।

(यह नोटिस केवल सभी प्रमुख पत्तनों पर पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस) के एकीकरण में रुचि रखने वाले पक्षों से रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने हेतु जारी किया गया है और परियोजना सहित अथवा आगामी बोली प्रक्रिया में किसी एक अथवा सभी पक्षों को आमंत्रित कर आगे बढ़ने के लिए दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय से कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धता नहीं है।)

अधिक जानकारी के लिए http://epublish.gov.in/epublish अथवा www.dgll.nic.in पर लॉग इन करें।

भाग।
परिचय:

1.1 दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (दीदीमनि)

समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 (पूर्व में दीपस्तंभ अधिनियम, 1927) के अनुसार, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (दीदीमनि), भारतीय जल में सुरक्षित नौचालन प्रदान प्रदानगी हेतु सामान्य जल में नौचालन के लिए समुद्री सहायता की स्थापना और रखरखाव कर रहा है। दीदीमनि द्वारा बनाए गए नौचालन के लिए समुद्री सहायता के रूप में दीपस्तंभ (203), दीपपोत (01), दीपस्तम्भ सेवी पोत(03), गहरे सागर चैनल का बोया अंकन (21) और नौचालन के लिए रेडियो सहायता जैसे विभेदक वैश्विक नौचालन उपग्रह प्रणाली (डीजीएनएसएस-23), रडार बीकन्स (रैकन्स-64) और राष्ट्रीय स्वचालित पहचान प्रणाली (एनएआईएस) नेटवर्क जिसमें 87 बेस स्टेशन हैं, सम्मिलित हैं। दीदीमनि ने गुजरात के कच्छ की खाड़ी में पोत यातायात सेवा की स्थापना कर रखरखाव भी कर रहा है। नौचालन हेतु दीपस्तंभ और अन्य समुद्री सहायता के प्रभावी पर्यवेक्षण के उद्देश्य से, भारतीय तट को क्षेत्रीय निदेशालयों में विभाजित किया गया है, जिन्हें दीपस्तंभ जिलों के रूप में जाना जाता है, जिनके मुख्यालय जामनगर, मुंबई, गोवा, कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर और गांधीधाम (गुजरात) में वीटीएमएस निदेशालय में हैं।

1.2 पोत यातायात सेवाएँ

पोत यातायात सेवाएँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यान्वित एक सेवा है जिसे नौचालन की सुरक्षा और दक्षता, समुद्र में जीवन की सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा में सुधार हेतु निर्मित किया गया है। वीटीएमएस को दिनांक 15 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा अपनाए गए पोत यातायात सेवाओं के लिए दिशानिर्देशों [आईएमओ संकल्प ए.1158(32)] के साथ एसओएलएएस अध्याय v विनियमन 12 द्वारा शासित किया जाता है। वीटीएमएस यातायात छवि को रडार, एआईएस, रेडियो दिशा खोजक और वीएचएफ अथवा अन्य सहकारी प्रणालियों और सेवाओं जैसे उन्नत सेंसर के माध्यम से संकलित और एकत्र किया जाता है। एक आधुनिक वीटीएमएस उपयोग में आसानी के लिए और प्रभावी यातायात संगठन और संचार की जानकारी देने के लिए सभी सूचनाओं को एक ही ऑपरेटर के कामकाजी माहौल में एकीकृत करता है। सभी सेंसर सिंगल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।

1.3 वीटीएमएस द्वारा प्रदान की गई सेवा

एक वीटीएमएस अधिसूचित क्षेत्र में जहाजों को निम्नलिखित सेवा प्रदान करेगा।

(क) सूचना सेवा (आईएनएस)

यह सुनिश्चित करने के लिए एक सेवा ऑन-बोर्ड निर्णय लेने हेतु आवश्यक जानकारी समय पर उपलब्ध हो जाए।

(ख) यातायात संगठन सेवा (टीओएस):

खतरनाक समुद्री यातायात स्थितियों के विकास को रोकने और वीटीएमएस क्षेत्र के भीतर जहाज यातायात की सुरक्षित और कुशल आवाजाही प्रदानगी हेतु एक सेवा।

(ग) नौचालन सहायक सेवा (एनएएस):

जहाज पर नौवहन निर्णय लेने में सहायता करने और इसके प्रभावों की निगरानी करने के लिए एक सेवा।

1.4 **वीटीएमएस घटक**

वीटीएमएस के विभिन्न घटक निम्नानुसार हैं:

(क) रडार

(ख) स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस)

(ग) पर्यावरण निगरानी (हाई-मी सेंसर)

(घ) इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल उपकरण

(ङ) रेडियो दिशा खोजक

(च) रेडियो संचार

(छ) डाटा प्रोसेसिंग

(ज) मानव/मशीन इंटरफ़ेस (एचएमआई)

(झ) निर्णय समर्थन

(ञ) बाहरी सूचना विनिमय

(ट) वीटीएमएस ऑपरेटर कंसोल

(ठ) वीटीएमएस पर्यवेक्षक कंसोल

(ड) नेटवर्किंग उपकरण और सर्वर

भाग II

2.1 **भारत में विद्यमान वीटीएमएस का विवरण**

भारत के सभी प्रमुख पत्तनों की अपनी पोत यातायात सेवा है जो पत्तन के वीटीएमएस (पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली) का हिस्सा है। प्रमुख पत्तनों पर स्थापित वीटीएमएस को एकीकृत करने के लिए प्रत्येक पत्तन से निम्नलिखित जानकारी मांगी गई थी:

- क्या मौजूदा वीटीएमएस में आईएएलए के अनुसार आईवीईएफ (इंटर वीटीएमएस एक्सचेंज फॉर्मेट) का प्रावधान है।
- रडार, एआईएस, सर्वर, वीएचएफ संचार प्रणाली, आईटी उपकरण, स्थापना का वर्ष, मेक और मॉडल के उपकरण और ओईएम का विवरण।
- वारंटी/सीएएमसी के दौरान वर्तमान ठेकेदार का विवरण।
- वीटीएमएस में सेंसर/उपकरण के एकीकरण के लिए संचार नेटवर्क का उपयोग।

12 प्रमुख पत्तनों से प्राप्त जानकारी अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

2.2 **सभी प्रमुख पत्तनों पर पोत यातायात प्रबंधन सेवा का अद्योपांत (turn key) के आधार पर एकीकरण**

दीदीमनि, सभी प्रमुख पत्तनों पर स्थापित वीटीएमएस को एकीकृत करने की योजना बना रहा है। भविष्य में गैर-प्रमुख पत्तनों और अन्य तटीय वीटीएमएस पर भी वीटीएमएस के एकीकरण पर विचार किया जा सकता है। वीटीएमएस के एकीकरण से

वीटीएमएस के साथ स्थापित सभी पत्तनों पर एक ही बिंदु पर समुद्री यातायात की तस्वीर देखने में सुविधा होगी, जिससे समुद्री डोमेन जागरूकता में सुधार होगा और भारत के तट पर प्रभावी यातायात योजना बनाने में सहायता मिलेगी।

आईवीईएफ (इंटर वीटीएमएस एक्सचेंज फॉर्मेट) अनुकूलता सुनिश्चित करने हेतु स्थापित किए जाने वाले 12 प्रमुख पत्तनों और पोर्ट ब्लेयर पत्तन पर 01 वीटीएमएस में से प्रत्येक पर आईटी बुनियादी ढांचे के साथ आवश्यक इंटरफ़ेस इकाइयों (हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर) के लिए प्रावधान किया जाना है। खंभात की खाड़ी में स्थापित तटीय वीटीएमएस और देश के अन्य वीटीएमएस के एकीकरण के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। अतिरेक के प्रावधान के साथ विश्वसनीय संचार साधनों के माध्यम से सभी वीटीएमएस की निर्बाध सम्पर्कता का प्रावधान प्रमुख पत्तनों पर वीटीएमएस से दीदीमनि के राष्ट्रीय डेटा केंद्र (एनडीसी), मुंबई तक किया जाएगा। सभी कार्य स्थलों से वीटीएमएस फ़ीड दीदीमनि के एनडीसी में एकीकृत किया जाएगा और एकीकृत वीटीएमएस फ़ीड एनएमडीए केंद्र और डीजी शिपिंग के मर्केंटाइल समुद्री डोमेन जागरूकता केंद्र (एमएम-डीएसी) को प्रदान किया जाएगा। सभी वीटीएमएस से आँकड़े स्थानांतरण हेतु दीदीमनि द्वारा स्थापित एनएआईएस नेटवर्क का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक प्रमुख पत्तन से वीटीएमएस आंकड़ों को एनएआईएस नेटवर्क के निकटतम फिजिकल शोर स्टेशन/आरसीसी से जोड़ा जाना है, प्रत्येक प्रमुख पत्तन के लिए निकटतम पीएसएस स्टेशन का विवरण अनुबंध-I के रूप में संलग्न है। विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों (कम से कम 30 की संख्या) को वेब आधारित वीटीएमएस फ़ीड प्रदान करने का प्रावधान किया जाना है।

2.3 विषय कार्य में अनुभव रखने वाले, प्रतिष्ठित इच्छुक संभावित बोलीदाताओं को अद्योपांत (turn key) के आधार पर "सभी प्रमुख पत्तनों पर पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस) के एकीकरण" के लिए अपनी "रुचि की अभिव्यक्ति" (ईओआई) जमा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बोलीदाता IALA/IMO मानकों के अनुसार तकनीकी समाधान प्रदान कर सकते हैं जो विश्वसनीय और किफायती होगा। बोलीदाताओं को तकनीकी विवरण, पक्ष और विपक्ष आदि के साथ प्रस्तावित संचार के तरीके आदि के साथ नेटवर्क आरेख प्रस्तुत करना होगा। बोलीदाताओं को अगले 10 वर्षों हेतु ओईएम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उन्नयन सहित अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।

परियोजना में रुचि रखने वाले बोलीदाताओं को स्थापना हेतु प्रस्तावित प्रत्येक उत्पाद के प्रारूप और तकनीकी विनिर्देश के अनुसार बजटीय प्रस्ताव सहित अपनी रुचि की अभिव्यक्ति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी। आपूर्ति और स्थापित की जाने वाली सभी वस्तुओं/सिस्टम के संबंध में दरें 03 वर्ष की वारंटी अवधि और सीएएमसी 07 वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाएंगी।

रुचि की अभिव्यक्ति की प्रस्तुती

परियोजना में रुचि रखने वाले संभावित बोलीदाताओं को अपनी रुचि की अभिव्यक्ति लिखित रूप में दिनांक 30/11/2023 को 1600 बजे अथवा उससे पहले दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, ए-13, दीप भवन, सेक्टर-24, नोएडा - 201301 को जमा करनी होगी। दूरभाष:91-120-24112508 / फैक्स: 91-120-2411345 ईमेल: noida-dgll@nic.in

बोली-पूर्व बैठक

संभावित बोलीदाता अपने प्रश्न दिनांक 16/11/2023 को अथवा उससे पूर्व भेज सकते हैं। विषय वस्तु के लिए प्रीबिड मीटिंग (भौतिक और वस्तुतः) दिनांक 17/11/2023 को 1500 बजे दीप भवन ए-13, सेक्टर 24, नोएडा-201301 में आयोजित की जाएगी। तदनुसार, बैठक का लिंक संभावित बोलीदाताओं को साझा किया जाएगा।

अनुलग्नक I

क्र. सं.	पत्तन का नाम	राज्य	उपयुक्त एनएआईएस साइट/ आरसीसी/ सीसीसी/ एनडीसी
1	कोलकाता पोर्ट/हल्दिया	पश्चिम बंगाल	आरसीसी कोलकाता (कोलकाता में निदेशालय कार्यालय)
2	पारादीप पत्तन	उड़ीसा	पारादीप दीपस्तंभ
3	विशाखापत्तनम पत्तन	आंध्र प्रदेश	आरसीसी विशाखापत्तनम के डॉल्फिन नोज दीपस्तंभ
4	कामराजार पत्तन	तमिलनाडु	आरसीसी चेन्नई (चेन्नई में निदेशालय कार्यालय)
5	चेन्नई पोर्ट	तमिलनाडु	आरसीसी चेन्नई (चेन्नई में निदेशालय कार्यालय)
6	तूतीकोरिन पत्तन	तमिलनाडु	पांडियानथियू दीपस्तंभ
7	कोचीन पत्तन	केरल	वाइपिन दीपस्तंभ
8	न्यू मैंगलोर पोर्ट	कर्नाटक	सूरतकल दीपस्तंभ
9	मोरमुगाओ पोर्ट	गोवा	अगुआडा दीपस्तंभ
10	मुंबई पोर्ट	महाराष्ट्र	एनडीसी मुंबई (मुंबई में निदेशालय कार्यालय)
11	जवाहरलाल नेहरू पोर्ट	महाराष्ट्र	एनडीसी मुंबई (मुंबई में निदेशालय कार्यालय)
12	कांडला पोर्ट	गुजरात	आरसीसी जामनगर (जामनगर में निदेशालय कार्यालय)
13	पोर्ट ब्लेयर पोर्ट (वीटीएमएस स्थापित किया जाएगा)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	आरसीसी पोर्ट ब्लेयर (पोर्ट ब्लेयर में निदेशालय कार्यालय)

भाग - III
प्रसारण पत्र
(फर्म के पत्र शीर्ष में टाइप किया जाना है)

प्रेषक: मैसर्स ____________________
____
____
सेवा में,

महानिदेशक,
दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय,
ए-13, दीप भवन, सेक्टर-24,
नोएडा - 201301
फ़ोन: 91-120-24112508 / फ़ैक्स: 91-120- 2411345
भारत, ईमेल: noida-dgll@nic.in

विषय: सभी प्रमुख पत्तनों पर पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस) के एकीकरण के लिए अद्योपांत (turn key) के आधार पर रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्रस्तुत करना।

महोदय,

उपरोक्त परियोजना के लिए ईओआई नोटिस और ईओआई दस्तावेज़ में दिए गए विवरणों की जांचने के पश्चात, मैं/हम इसके द्वारा अपनी रुचि की अभिव्यक्ति और प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

1. मैं/हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि दिए गए सभी कथन और संलग्न प्रपत्र और संलग्न कथनों में दी गई जानकारी सत्य और सही हैं।

2. मैंने/हमने ईओआई के लिए आवश्यक सभी जानकारी और विवरण उपलब्ध करा दिए हैं और हमारे पास देने के लिए कोई और प्रासंगिक जानकारी नहीं है।

3. मैं/हम दीदीमनि अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को हमारी क्षमता और सामान्य प्रतिष्ठा को सत्यापित करने के लिए व्यक्तियों, नियोक्ताओं और फर्मों से संपर्क करने के लिए भी अधिकृत करते हैं।

4. मैं/हम निर्धारित प्रारूप के साथ वीटीएमएस प्रणाली को सफलतापूर्वक स्थापित और चालू करने के लिए अपनी उपयुक्तता, तकनीकी जानकारी और क्षमता के समर्थन में निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं।

5. हम समझते हैं कि दीदीमनि सभी प्रमुख पत्तन परियोजना मापदंडों पर वीटीएमएस के एकीकरण को अंतिम रूप देने के लिए स्वतंत्र होगा।

आवेदक(ओं) के हस्ताक्षर

अनुलग्नक
आवेदक की सील प्रस्तुति की लिपि

परिशिष्ट 1
फर्मों/आवेदकों का नाम
(संगठनात्मक संरचना)

1.	आवेदक का नाम और पता टेलीफोन नंबर/फैक्स नंबर सहित	
2.	क) स्थापना का वर्ष ख) प्रारंभ की तिथि और वर्ष	
3.	आवेदक की कानूनी स्थिति (कानूनी स्थिति को परिभाषित करने वाले मूल दस्तावेज़ की प्रतियां संलग्न करें)	
	क) एक मालिकाना फर्म	
	ख) साझेदारी में एक फर्म	
	ग) एक लिमिटेड कंपनी अथवा निगम/ संयुक्त उद्यम/ कंसोर्टिया	
	घ) राज्य के स्वामित्व वाला	
4.	कोई अन्य जानकारी जो आवश्यक समझी गई हो लेकिन ऊपर सम्मिलित नहीं की गई हो	

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता